न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार — अपीलाण्ट

बनाम

हाकिम सिंह पुत्र कारे सिंह जाति जाट निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 23.03.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अंतिम अवसर दिया गया किन्तु हाकिम सिंह पुत्र कारे सिंह जाति जाट निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के आदेश क्रमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था जिसमें श्री जाट का का नाम क्रम संख्या 18 पर दर्ज है। इस निर्णय के खिलाफ श्री जाट द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 30.08.2018 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर श्री जाट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

श्री जाट ने बहस में कथन किया है कि वह शहरी क्षेत्र में रहने के कारण पंचायती राज के चुनाव में अपना शस्त्र जमा नहीं करवा पाया। साथ ही उसके विरुद्ध किसी भी थाने में कोई मुकदमा भी पंजीकृत नहीं है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समय वह हिण्डौन सिटी में नहीं था। वह अपने गांव जोगपुरा (राया) तहसील व जिला मथुरा में था। इस कारण भी शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करवाये जाने में विलम्ब हुआ है जिसके लिए वह क्षमाप्रार्थी है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि श्री जाट को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी श्री जाट द्वारा निर्धारित समय सीमा में हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–ल–1( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/13797 दिनांक 18.12.2019 द्वारा श्री जाट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा की है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अंतिम अवसर दिया गया परंतु श्री जाट द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवाया जो कि आर्म्स एक्ट का खुला उल्लंघन है। श्री जाट का यह कथन कि वह शहरी क्षेत्र का निवासी है, इसलिये अपने शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवाया, बिल्कुल अनुचित है क्योंकि आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों को पंचायत चुनाव के मध्येनजर अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाने के आदेश दिये गये थे। तत्कालीन समय में वह कहां रहे, इसका प्रमाण श्री जाट द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः हम श्री जाट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री हाकिम सिंह पुत्र कारे सिंह जाति जाट निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली को पचफेरा 12 बोर इकनाली के लिए जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 4087 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: